पुलिस थाना-बड़ागाँव, जनपद-वाराणसी कमिश्नरेट।
उत्तर प्रदेश, पिन नं0-221204

****

प्रेस नोट

लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला व शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाला एक नफर वांछित अभियुक्त को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा गिरफ्तार एवं अपहृता को बरामदगी किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं श्रीमान पुलिस उपायुक्त गोमती जोन व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.09.2023 को नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला व शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाला एक नफर वांछित अभियुक्त को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा गिरफ्तार एवं अपहृता की बरामदगी किया गया।

दिनांक 13.06.2023 को थाना स्थानीय पर मुकदमा वादी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया कि उसकी लड़की जिसकी उम्र 17 है को मनोज कुमार पुत्र कान्ता प्रसाद निवासी ग्राम बचौरा थाना फूलपुर जनपद वाराणसी ग्राम बसनी से बहला फुसलाकर भगा ले गया है जिसकी तलाश पतारसी के क्रम में. मुखबिर खास द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया कि मुकदमा से सम्बन्धित अपहृता व अभियुक्त बसनी तिराहे के पास खड़े है। इस सूचना पर श्रीमान थानाध्यक्ष बडागाव के निर्देशन में थाना बडागाव पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर वांछित अभियुक्त को समय करीब 05.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अपहृता को महिला आरक्षी की मदद से बरामद किया गया। अभियुक्त व अपहृता को हमराही कर्मचारीगण की मदद से थाना हाजा पर लाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम पताः

1. मनोज कुमार पुत्र कान्ता प्रसाद निवासी ग्राम बचौरा थाना फूलपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान – दिनांक 14.09.2023 समय करीब 05.35 बजे बसनी तिराहा थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।

पंजीकृत अभियोग जिसके अन्तर्गत गिरफ्तारी हुई है का विवरण –

मु0अ0स0- 0188/2023 धारा 363/366/376 भादवि व 3 / 4 पाक्सो एक्ट थाना बड़ागांव जनपद वाराणसी

पुलिस टीम का विवरणः

श्री राज कुमार पाण्डेय थानाध्यक्ष बड़ागाँव।

उ0नि0 श्री राहुल कुमार सिंह

का0 राहुल पाण्डेय

म0का0 अंजू।

थाना बड़ागाँव जनपद वाराणसी कमिश्नरेट।

फोटो –